<u>प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एस.एल.एस.एम.सी.) की बैठक दिनांक 07.11.2022 का कार्यवृत।</u>

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

(1) श्री अनिल कुमार-।।।, सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) श्री प्रभु एन0 सिंह, सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) सुश्री यशु रूस्तगी, निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

(4) श्री रवि जैन, निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

(5) श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) श्री राकेश कुमार मिश्र, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) श्री अजीत कुमार, प्रबन्धक, एस0एल0बी0सी0, उत्तर प्रदेश।

निदेशक, सूडा/मिशन निदेशक, एसएलएनए द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत दिनांक 10.09.2021 की बैठक में SLSMC द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 04.11.2022 को आहूत बैठक में बी0एल0सी0 घटक के 32,838 आवासों का करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण की डीपीआर तथा लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी एल सी.) एवं भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मानिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report का अनुमोदन किया गया।

उप-समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु SLSMC के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिस पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

<u>एजेण्डा-01:-दिनांक 10.09.2021 की बैठक में SLSMC द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 04.11.2022 की बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव पर SLSMC की स्वीकृति</u>

1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी एल सी.) घटक के अन्तर्गत 54 जनपदों की 302 परियोजनाओं में 32,838 अपात्रों के अभ्यर्पण/कर्टलमेंट की स्वीकृति

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 54 जनपदों की 302 परियोजनाओं में 32,838 अपात्रों के करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा के हस्ताक्षरोपरान्त डीपीआर प्रेषित की गयी है, जिसमें विभिन्न कारणो से अपात्र पाये गये हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (56वी सीएसएमसी तक) में स्वीकृत बीएलसी-एन की 259 तथा बीएलसी-ई की 43 कुल 302 परियोजनाओं में 1,68,615 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें 1,35,777 लाभार्थी पात्र तथा 32,838 अपात्र हैं। करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण के मुख्य कारण निम्नवत् हैं-

क्र.सं.	अपात्रता के कारण	अपात्रों की संख्या
1	अन्य घटक हेतु पात्र लाभार्थी	70
2	भूमि विवाद/भू-स्वामित्व सम्बन्धी वांछित प्रपत्र उपलब्ध न होना	3474
3	अन्य स्थान पर चले जाना	9489
4	योजना के अन्य घटक में लाभान्वित होना	1233
5	PMAY(U) की गाइड लाइन के अनुसार अपात्र (निकाय सीमा से बाहर/पक्का आवास/अधिक आय)	15237
6	लाभार्थी की मृत्यु के उपरान्त कोई नामिनी न होना	409
7	आवास बनाने का इच्छुक नहीं	2926

जनपदों से प्राप्त उक्त प्रस्ताव उप-समिति के अनुमोदनोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख में)

घटक	परियोजनाओं की सं0	स्वीकृत आवास	पात्रों की सं0	अपात्रों की सं0	अभ्यर्पण से पूर्व परियोजना लागत	अभ्यर्पण पश्चात् परियोजना लागत
BLC(N)	259	161638	130852	30786	586912.660	476336.748
BLC(E)	43	6977	4925	2052	16302.690	11635.565
Total	**302**	**168615**	**135777**	**32838**	**603215.350**	**487972.313**

(Amt. in lakh)

S. No.	District	No of Project	Sanctioned DU's	Patra	Apatra	Old Project Cost	New Project Cost
	BLC-N						
1	Agra	4	1052	887	165	3534.720	2980.320
2	Aligarh	6	3873	2686	1187	14717.400	10206.800
3	Auraiya	13	4980	3412	1568	16717.760	11454.020
4	Ayodhya	8	9371	6733	2638	31458.260	22602.550
5	Azamgarh	3	1550	1049	501	5208.000	3524.640
6	Bahraich	2	1352	1045	307	5137.600	3971.000
7	Banda	6	2745	2132	613	10434.790	8105.130
8	Bareilly	11	10632	8917	1715	40401.600	33884.600
9	Bijnor	6	2293	1671	622	8713.400	6349.800
10	Budaun	15	5767	5347	420	21914.600	20318.600
11	Chandauli	5	6018	4322	1696	20220.480	14521.920
12	Chitrakoot	1	394	353	41	1323.840	1186.080
13	Deoria	1	659	613	46	2504.200	2329.400
14	Etah	2	514	380	134	1953.200	1444.000

(Amt. In lakh)

S. No.	District	No of Project	Sanctioned DU's	Patra	Apatra	Old Project Cost	New Project Cost
15	Etawah	2	229	192	37	768.750	644.540
16	Farrukhabad	2	547	515	32	1836.260	1728.840
17	Firozabad	2	1259	904	355	4230.240	3037.440
18	Ghaziabad	2	1048	407	641	3990.790	1547.600
19	Ghazipur	9	3277	2606	671	11010.720	8756.160
20	Gonda	2	437	347	90	1660.600	1318.600
21	Gorakhpur	3	4162	3963	199	15815.600	15059.400
22	Hamirpur	3	1566	1435	131	5950.800	5453.000
23	Hardoi	6	1237	1173	64	4152.570	3937.738
24	Hathras	4	178	139	39	676.400	528.200
25	Jalaun	6	5144	4435	709	19589.710	16889.646
26	Jhansi	2	470	418	52	1789.880	1591.856
27	kannauj	7	2924	2088	836	9815.820	7009.370
28	Kanpur Dehat	6	3172	2406	766	10648.350	8076.890
29	Kushinagar	2	1272	1236	36	4833.600	4696.800
30	Lakhimpur Kheri	5	1613	1517	96	5728.000	5398.062
31	Lalitpur	2	5900	5080	820	19806.170	17053.460
32	Lucknow	4	1584	1447	137	5317.460	4857.550
33	Maharajganj	5	2663	2506	157	10119.400	9522.800
34	Mainpuri	9	5359	2582	2777	18006.240	8675.520
35	Mathura	8	11639	9532	2107	44228.200	36221.600
36	Mau	4	3594	3144	450	12075.840	10563.840
37	Meerut	3	1057	1041	16	4025.410	3964.480
38	Mirzapur	3	3329	3157	172	12650.200	11996.600
39	Moradabad	1	1100	683	417	4180.000	2595.400
40	Muzzaffarnagar	16	3362	3040	322	12803.410	11577.160
41	Pilibhit	1	264	255	9	1005.410	971.136
42	Pratapgarh	2	1201	1139	62	4031.730	3823.600
43	Prayagraj	1	156	119	37	523.690	399.480
44	Rae Bareli	1	230	209	21	772.110	701.610
45	Saharanpur	8	17596	13107	4489	67010.310	49915.000
46	Sambhal	4	2306	2118	188	8762.800	8048.400
47	Sant Kabir Nagar	1	242	233	9	919.600	885.400
48	Shahjahanpur	2	2468	2342	126	9378.400	8899.600
49	Shamli	8	2273	2033	240	8656.180	7742.200
50	Siddharthnagar	15	8109	7178	931	30814.200	27276.400
51	Sitapur	4	2930	2729	201	9835.950	9161.200
52	Sultanpur	6	1391	1077	314	4669.560	3615.470
53	Unnao	2	512	476	36	1718.770	1597.920

(Amt. in lakh)

S. No.	District	No of Project	Sanctioned DU's	Patra	Apatra	Old Project Cost	New Project Cost
54	Varanasi	3	2638	2297	341	8863.680	7717.920
	BLC-N Total	**259**	**161638**	**130852**	**30786**	**586912.660**	**476336.748**
	BLC-E						
1	Aligarh	2	554	442	112	2651.740	1057.560
2	Auraiya	2	44	21	23	184.400	41.650
3	Ayodhya	3	55	25	30	234.330	53.590
4	Azamgarh	1	13	12	1	62.000	28.610
5	Bareilly	4	688	423	265	3251.520	999.540
6	Bijnor	1	385	151	234	1889.860	370.340
7	Budaun	7	782	625	157	3699.860	1479.231
8	Etah	3	113	88	25	487.200	189.180
9	Farrukhabad	3	448	420	28	2270.180	1064.150
10	Hardoi	4	533	517	16	2700.920	1309.910
11	Jalaun	3	631	537	94	2805.400	1193.738
12	Lakhimpur Kheri	1	38	33	5	181.240	78.693
13	Maharajganj	1	206	188	18	1015.060	463.190
14	Mainpuri	3	994	459	535	4554.020	1093.800
15	Mau	1	109	67	42	516.580	159.540
16	Pilibhit	1	174	171	3	857.380	421.303
17	Sant Kabir Nagar	1	12	8	4	59.140	19.710
18	Shamli	2	1198	738	460	5164.280	1611.830
	BLC-E Total	**43**	**6977**	**4925**	**2052**	**32585.110**	**11635.565**
Grand Total BLC-N+E		**302**	**168615**	**135777**	**32838**	**603215.350**	**487972.313**

उपरोक्तानुसार बी0एल0सी0 (नया) घटक के अन्तर्गत 54 जनपदों की 259 परियोजनाओं में 30,786 अपात्रों एवं बी0एल0सी0 (विस्तार) घटक के अन्तर्गत 18 जनपदों की 43 परियोजनाओं में 2,052 अपात्रों, कुल 302 परियोजनाओं में 32,838 अपात्रों का करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण के प्रस्ताव पर उप-समिति द्वारा दिनांक 04.11.2022 को विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही निर्देश दिये गये कि अपात्र पाये गये लाभार्थियों की अपात्रता का साक्ष्य एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र/विवरण तथा जांच रिपोर्ट आदि को जनपद स्तर पर संरक्षित करना डूडा कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव का मूल्यांकन एस0एल0ए0सी0 द्वारा दिनांक 04.11.2022 को किया गया है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त 302 परियोजनाओं में 32,838 अपात्रों के करटेलमेन्ट/ अभ्यर्पण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही योजनान्तर्गत तिथिवार करटेलमेन्ट व करटेलमेन्ट के सापेक्ष अब तक स्वीकृत नए आवासों का विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त बी0एल0सी0 घटक में करटेलमेन्ट के सापेक्ष अवशेष आवासों की डीपीआर भी आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

1.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी.एल.सी.) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मानिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report की स्वीकृति।

एस0एल0एस0एम0सी0 की विगत बैठक दिनांक 10.09.2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ए0टी0आर0 के सम्बन्ध में एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "जनपद स्तर पर तैनात परियोजना अधिकारी, डूडा एवं इंजीनियर द्वारा टी0पी0क्यू0एम0 एजेन्सी की आख्या में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या प्राप्त कर ली जाये।"

उक्त के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत 51वी सीएसएमसी में स्वीकृत 109 परियोजनाओं में TPQMA की प्रथम विजिट की रिपोर्ट में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए सम्बन्धित जनपदों के परियोजना अधिकारी डूडा एवं इंजीनियर द्वारा संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्राप्त आख्याओं के अनुसार तैयार की गयी 109 परियोजनाओं की Action Taken Report उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर उप-समिति द्वारा दिनांक 04.11.2022 की बैठक में विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही उप-समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि जो टीम विजिट करने गयी है, उसके सदस्य भी आवास निरीक्षण के फोटो में सम्मिलित हों।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी उपरोक्त 109 परियोजनाओं की ए0टी0आर0 हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

1.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मानिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report के अनुमोदन पर विचार।

अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण द्वारा 39वी CSMC में स्वीकृत 01 परियोजना में भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मानिटरिंग की रिपोर्ट (TPQMA) पर की गयी कार्यवाही Action Taken Report की आख्या उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्तुत की गयी थी, जिनका विवरण निम्न है:-

क्र0 सं0	प्राधिकरण का नाम	सीएसएमसी की सं0 एवं तिथि	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या
1	हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण	39वी/30.10.2018	हिण्डालपुर	264

अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव पर उप-समिति द्वारा दिनांक 04.11.2022 की बैठक में विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी उपरोक्त 01 परियोजना की ए0टी0पी0आर0 हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

1.4 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत 14 जनपदों की नव सृजित निकायों एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों से 30 परियोजनाओं में 18,626 आवासों के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 के अनुमोदन पर विचार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के हस्ताक्षरोपरान्त बी0एल0सी0-एन घटक के अन्तर्गत 14 जनपदों की नव सृजित निकायों एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों से कुल 30 परियोजनाओं में 18,626 आवासों की डी0पी0आर0 प्राप्त हुई है। डीपीआर तैयार करने से पूर्व समस्त लाभार्थियों का सत्यापन शासनादेश सं0-568/69-1-2019 दिनांक 01 जुलाई, 2019 के बिन्दु सं0-04 के अनुसार करा लिया गया है, जिसका प्रमाण सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही नव सृजित निकाय एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों की डीपीआर हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया गया है कि डीपीआर में केवल नव सृजित निकायों एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों में निवासित लाभार्थी ही सम्मिलित हैं तथा सम्बन्धित कन्सलटेन्ट द्वारा समस्त आवेदन पत्रों का वैलिडेशन कर लिया गया है।

उपरोक्त प्रस्तावों का परीक्षण राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) द्वारा करते हुए समिति के समक्ष स्वीकृति/ विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी प्राप्त प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् हैः-

(Amt. in lacs)

S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
नवसृजित निकाय								
1	Ambedkar Nagar	Jahangirganj NP	989	1483.50	989.00	847.55	3320.05	3
2	Ambedkar Nagar	RajeSultanpur NP	1212	1818.00	1212.00	1038.66	4068.66	3
3	Aligarh	Madrak NP	475	712.50	475.00	617.50	1805.00	4
4	Aligarh	Barauli NP	403	604.50	403.00	523.90	1531.40	4
5	Aligarh	Jawan Sikandar NP	526	789.00	526.00	683.80	1998.80	4
6	Aligarh	Chandaus NP	285	427.50	285.00	370.50	1083.00	4
7	Aligarh	Tappal NP	207	310.50	207.00	269.10	786.60	4
8	Aligarh	Pisawa NP	239	358.50	239.00	310.70	908.20	4
9	Aligarh	Gabhana NP	317	475.50	317.00	412.10	1204.60	4
10	Farrukhabad	Nawabganj NP	216	324.00	216.00	185.11	725.11	3
11	Kanpur Dehat	Moosanagar NP	501	751.50	501.00	429.35	1681.85	3
12	Kanpur Dehat	Kanchausi NP	593	889.50	593.00	508.19	1990.69	3
13	Kaushambi	Charwa NP	1274	1911.00	1274.00	1091.79	4276.79	3
14	Kaushambi	Dara Nagar Kadahaam NP	1201	1801.50	1201.00	1029.23	4031.73	3
15	Kaushambi	Purab Pashchim Sharira NP	307	460.50	307.00	263.09	1030.59	3
16	Lakhimpur Kheri	Nighasan NP	1198	1797.00	1198.00	1026.66	4021.66	3
17	Saharanpur	Chhutmalpur NP	116	174.00	116.00	151.76	441.76	4
18	Unnao	Achalganj NP	201	301.50	201.00	172.25	674.75	3
19	Varanasi	Suzabaad NP	731	1096.50	731.00	628.66	2456.16	3

S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
		Total	**10991**	**16486.50**	**10991.00**	**10559.90**	**38037.40**	
सीमा विस्तारित क्षेत्र								
20	Ambedkar Nagar	Jalalpur NPP	920	1380.00	920.00	788.42	3088.42	3
21	Bulandsahar	Khurja NPP	190	285.00	190.00	248.57	723.57	4
22	Bulandsahar	Anoopshara NPP	54	81.00	54.00	70.65	205.65	4
23	Gorakhpur	Mundera Bazar NP	356	534.00	356.00	462.80	1352.80	4
24	Gorakhpur	Pipiganj NP	703	1054.50	703.00	913.90	2671.40	4
25	Deoria	Gaura Barhaj NPP	363	544.50	363.00	471.90	1379.40	3
26	Kaushambi	Manjhanpur NP	439	658.50	439.00	376.21	1473.71	3
27	Kaushambi	Bharwari NPP	937	1405.50	937.00	802.99	3145.49	3
28	Lakhimpur Kheri	Mohammadi NPP	125	187.50	125.00	107.12	419.62	3
29	Lucknow	Lucknow NN	1832	2748.00	1832.00	1569.99	6149.99	3
30	Prayagraj	Prayagraj NN	1716	2574.00	1716.00	1470.57	5760.57	3
		Total	**7635**	**11452.50**	**7635.00**	**7283.12**	**26370.62**	
		Grand Total	**18626**	**27939.00**	**18626.00**	**17843.02**	**64408.02**	

उक्त परियोजनाओं की कुल लागत रू0 64,408.02 लाख है, जिसमें केन्द्रांश रू0 27,939 00 लाख, राज्यांश रू0 18,626 00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान रू0 17,843.02 लाख है।

अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव के मूल्यांकन उपरान्त एस0एल0ए0सी0 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि डीपीआर तैयार करने के स्कोप आफ वर्क के अनुसार *"Preparation of Beneficiarieswise detailed Architectural/Engineering designs, drawings & Estimates for all sizes of plots"'* एवं पीएमसी के स्कोप आफ वर्क के अनुसार *"PMC will supervise the construction work to ensure adherence to the drawings, prescribed high standards of quality and timely completion of the project and verify and certify the progress of the work."* सम्बन्धित संस्था का दायित्व है, जिसका क्रियान्वयन संबंधित परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा डीपीआर/पीएमसी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त 30 परियोजनाओं में 18,626 नए आवासों हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>नोटः-</u>

उप-समिति द्वारा उपरोक्तानुसार करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण एवं नई डीपीआर के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश में बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत कुल आवासों की संख्या 13,91,028 है।

एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा दिनांक 12.07.2022 तक स्वीकृत आवास (अ)	14,05,240
दिनांक 12.07.2022 से अब तक प्राप्त करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण (ब)	32,838
दिनांक 25.04.2022 से अब तक प्राप्त नए आवासों की डीपीआर (स)	18,626
उप-समिति के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत आवासों की संख्या (अ-ब+स)	**13,91,028**

<u>एजेण्डा-02:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत कुल 04 परियोजनाओं के संशोधन की स्वीकृति।</u>

अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक की 04 परियोजनाओं में संशोधन किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	CSMC सं0	परियोजना का नाम	EWS आवासों की सं0	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कार्यदायी संस्था अंशदान	परियोजना लागत
1	उन्नाव-शुक्लागंज वि0प्रा0	31वीं	बाहरी	480	720.00	480.00	960.00	528.00	2688.00
2	उन्नाव-शुक्लागंज वि0प्रा0	38वीं	बाहरी	240	360.00	240.00	480.00	302.64	1382.64
3	फिरोजाबाद- शिकोहाबाद वि0प्रा0	38वीं	उसायनी	800	1200.00	800.00	1600.00	992.09	4592.09
4	रायबरेली वि0प्रा0	38वीं	बरखापुर	520	780.00	520.00	1040.00	1061.09	3401.09
कुल योग				2040	3060.00	2040.00	4080.00	2883.82	12063.82

उक्त तालिका के क्रम सं0-1 व 2 में वर्णित उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की क्रमशः 480 एवं 240 आवासों की परियोजना के सम्बन्ध में आवास बन्धु द्वारा पत्रांक-8653 व 8652 दिनांक 17.10.2022 से अवगत कराया गया है कि परियोजनाओं की भूमि पर मा0 न्यायालय में योजित वाद के कारण दोनों परियोजनाओं में 48-48 आवासों के निर्माण का कार्य बाधित है, जिसके निकट भविष्य में निराकरण की सम्भावना क्षीण है, जिस कारण प्राधिकरण द्वारा क्रमशः 480 आवासों के स्थान पर 432 एवं 240 आवासों के स्थान पर 192 आवासों की संशोधित परियोजना प्रस्तुत की गयी है।

तालिका के क्रम सं0-3 में वर्णित फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण की 800 आवासों की उसायनी परियोजना के सम्बन्ध में आवास बन्धु द्वारा पत्रांक-8371 दिनांक 25.07.2022 से अवगत कराया गया है कि परियोजना स्थल ताज टैपेजियम जोन (टीटीजेड) के अन्तर्गत है, जिसमें 20,000 वर्ग मी0 तल आच्छादन के प्रतिबन्ध के कारण 232 आवास बनाया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण प्राधिकरण द्वारा 800 आवासों के स्थान पर 568 आवासों की संशोधित परियोजना प्रस्तुत की गयी है।

इसके अतिरिक्त क्रम सं0-4 में वर्णित रायबरेली विकास प्राधिकरण की 520 आवासों की बरखापुर परियोजना के सम्बन्ध में आवास बन्धु द्वारा पत्रांक-8466 दिनांक 24 08.2022 से अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना हेतु कई बार पंजीकरण खोले जाने के उपरान्त भी कम आवेदन प्राप्त होने के कारण 285 आवासों का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण प्राधिकरण द्वारा 520 आवासों के स्थान पर 235 आवासों की संशोधित परियोजना प्रस्तुत की गयी है।

इस प्रकार 03 प्राधिकरणों द्वारा कुल 2040 आवासों की 04 परियोजनाओं को संशोधित कर 1445 किया जाना हैं। उक्त परियोजनाओं का संशोधनोपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	EWS आवासों की सं0	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कार्यदायी संस्था अंशदान	परियोजना लागत
1	उन्नाव-शुक्लागंज वि0प्रा0	बाहरी	432	648.00	648.00	648.00	648.00	2479.65
2	उन्नाव-शुक्लागंज वि0प्रा0	बाहरी	192	432.00	432.00	432.00	432.00	1076.69
3	फिरोजाबाद- शिकोहाबाद	उसायनी	586	864.00	864.00	864.00	864.00	3626.41

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	EWS आवासों की सं0	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कार्यदायी संस्था अंशदान	परियोजना लागत
	वि0प्रा0							
4	रायबरेली वि0प्रा0	बरखापुर	235	535.65	535.65	535.65	535.65	1984.12
	कुल योग		1445	2479.65	2479.65	2479.65	2479.65	9166.87

उपरोक्त परियोजनाओं के संशोधन का प्रस्ताव उन्नाव-शुक्लागंज, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद एवं रायबरेली विकास प्राधिकरणों द्वारा आवास बन्धु के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) द्वारा दिनांक 04.11.2022 को करते हुए समिति के समक्ष स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

समिति द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः-

1. उन्नाव-शुक्लागंज की दोनों परियोजनाओं में भूमि की उपलब्धता एवं मा0 न्यायालय में योजित वाद के निस्तारण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से समन्वय कर पुनः परीक्षण करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।
2. फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण की परियोजना में टीटीजेड के मानकों के अन्तर्गत ऐसे विकल्पों का आंकलन किया जाये, जिससे परियोजना में स्वीकृत आवासों की संख्या में कोई परिवर्तन न हो।
3. रायबरेली विकास प्राधिकरण की परियोजना में निरस्त किए जा रहे आवासों के सापेक्ष नगर पालिका परिषद रायबरेली में बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत आवास स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

अतः उक्त निर्देशों के साथ समिति द्वारा रायबरेली विकास प्राधिकरण की 520 आवासों की परियोजना को संशोधित कर 235 आवासों की परियोजना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>एजेण्डा-03:-भागीदारी में किफायती आवास घटक की 04 परियोजनाओं के संशोधित अनुलग्नक-7बी की स्वीकृति।</u>

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक की स्वीकृत परियोजनाओं में से 04 परियोजनाओं में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा आवासों का आवंटन किया गया है, जिस हेतु परियोजनाओं में आवंटन के अनुसार जाति एवं लिंग के विवरण को संशोधित कर परियोजनाओं हेतु अनुलग्नक-7बी उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराते हुए एमआईएस पोर्टल पर विवरण अपडेट कराने का अनुरोध किया गया है, जिसके आधार पर एम0आई0एस0 पोर्टल पर निम्नलिखित परियोजनाओं के अनुलग्नक-7बी में संशोधन किया जाना हैः-

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	जनपद	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवास	आवंटित आवास	सीएसएमसी सं0 एवं दिनांक
1	बरेली विकास प्राधिकरण	बरेली	खसरा नं0-572, हमीरपुर, बरेली	364	154	36वी/24.07.18
2	बरेली विकास प्राधिकरण	बरेली	ग्राम पूरनापुर कुंआ डंडा,	1500	953	39वी/30.10.18

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	जनपद	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवास	आवंटित आवास	सीएसएमसी सं0 एवं दिनांक
			बिसलपुर रोड			
3	बरेली विकास प्राधिकरण	बरेली	ग्राम घनघोरा पिपरीया	480	480	41वी/27.12.18
4	कानपुर विकास प्राधिकरण	कानपुर नगर	जवाहरपुरम	3072	1536	38वी/26.09.18

उक्त के क्रम में अवगत कराया गया कि परियोजनाओं की स्वीकृति के समय लाभार्थियों का चयन अनिवार्य न होने के कारण पोर्टल पर प्रोजेक्ट क्रिएशन के समय समस्त आवासों को सामान्य श्रेणी में दर्शाया जाता है। भागीदारी में किफायती आवास घटक में आवास आवंटन शासनादेश सं0-1022/ आठ-1-18-93 विविध/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 में उल्लिखित वरीयता नीति के अनुसार किया जाता है। उपरोक्तानुसार पोर्टल पर अंकित परियोजनाओं के श्रेणीवार विवरण में आवंटित आवासों के आधार पर संशोधन किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रस्ताव विभिन्न प्राधिकरणों से उपाध्यक्ष के हस्ताक्षरोपरान्त प्राप्त हुए हैं।

अतः समिति द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधित एनेक्जर-7बी की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>अनुपूरक एजेण्डा-01:</u>-**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत 07 जनपदों की नव सृजित निकायों एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों से 10 परियोजनाओं में 6,608 आवासों के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 के अनुमोदन पर विचार।**

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के हस्ताक्षरोपरान्त बी0एल0सी0-एन घटक के अन्तर्गत 07 जनपदों की नव सृजित निकायों एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों से कुल 10 परियोजनाओं में 6,608 आवासों की डी0पी0आर0 प्राप्त हुई है। डीपीआर तैयार करने से पूर्व समस्त लाभार्थियों का सत्यापन शासनादेश सं0-568/69-1-2019 दिनांक 01 जुलाई, 2019 के बिन्दु सं0-04 के अनुसार करा लिया गया है, जिसका प्रमाण सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही नव सृजित निकाय एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों की डीपीआर हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया गया है कि डीपीआर में केवल नव सृजित निकायों एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों में निवासित लाभार्थी ही सम्मिलित हैं तथा सम्बन्धित कन्सलटेन्ट द्वारा समस्त आवेदन पत्रों का वैलिडेशन कर लिया गया है।

उक्त परियोजनाओं की कुल लागत रू0 22,764.40 लाख है, जिसमें केन्द्रांश रू0 9,912.00 लाख, राज्यांश रू0 6,608.00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान रू0 6,244.40 लाख सम्मिलित है। प्राप्त प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् है:-

(Amt. in lacs)

S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
नव सृजित निकाय								
1	Lakhimpur Kheri	Nighasan NP	1198	1797.00	1198.00	1026.66	4021.66	3
2	Varanasi	Suzabaad NP	731	1096.50	731.00	628.66	2456.16	3
Total			1929	2893.50	1929.00	1655.32	6477.82	
सीमा विस्तारित क्षेत्र								

S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
3	Bulandsahar	Khurja NPP	190	285.00	190.00	248.57	723.57	4
4	Bulandsahar	Anoopshara NPP	54	81.00	54.00	70.65	205.65	4
5	Gorakhpur	Mundera Bazar NP	356	534.00	356.00	462.80	1352.80	4
6	Gorakhpur	Pipiganj NP	703	1054.50	703.00	913.90	2671.40	4
7	Kaushambi	Bharwari NPP	937	1405.50	937.00	802.99	3145.49	3
8	Lakhimpur Kheri	Mohammadi NPP	125	187.50	125.00	107.12	419.62	3
9	Lucknow	Lucknow NN	1832	2748.00	1832.00	1569.99	6149.99	3
10	Prayagraj	Prayagraj NN	482	723.00	482.00	413.06	1618.06	3
Total			**4679**	**7018.50**	**4679.00**	**4589.08**	**16286.58**	
Grand Total			**6608**	**9912.00**	**6608.00**	**6244.40**	**22764.40**	

अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तावों में जनपद बुलन्दशहर एवं कौशाम्बी के अतिरिक्त समस्त जनपदों की हार्ड कापी प्राप्त करते हुए डाटा का मिलान कर लिया गया है। जनपद बुलन्दशहर से प्राप्त 02 डीपीआर क्रमशः नगर निकाय खुर्जा एवं अनूपशहर की पीडीएफ फाइल प्राप्त हुई है तथा जनपद कौशाम्बी से नगर निकाय भरवारी की 01 डीपीआर की पीडीएफ फाइल प्राप्त हुई है।

जनपद बुलन्दशहर व कौशाम्बी से डीपीआर की हार्ड कापी प्राप्त होने पर सम्बन्धित संलग्न प्रपत्रों का परीक्षण कर सही पाये जाने एवं उक्त समस्त प्रस्तावों का मूल्यांकन राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) से कराने के उपरान्त ही उन्हें सी0एस0एम0सी0 में प्रस्तुत किये जाने की शर्त के साथ समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

निदेशक, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत करटेलमेन्ट के सापेक्ष Substitution डीपीआर हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित की गयी हैः-

(a) नवसृजित निकाय (b) सीमा विस्तारित क्षेत्र
(c) एम0आई0एस0 पोर्टल पर 31 मार्च, 2022 तक प्राप्त 94,378 आनलाइन आवेदन पत्र

योजना अपने अन्तिम चरण में है एवं भारत सरकार द्वारा लक्ष्य फ्रीज कर दिया गया है, जिसके उपरान्त भी जनपदों में संवेदनशील एवं अति कमजोर वर्ग के कुछ लोग वंचित रह जाना संज्ञान में आया है। अतः उक्त तीनों श्रेणियों के अतिरिक्त आफलाइन आवेदन पत्रों के लिए निम्नानुसार वरीयता निर्धारित की गयी हैः-

1. विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/निराश्रित एकल महिला आवेदकों को पहली वरीयता
2. विकलांग/कुष्ठ रोगी आवेदकों को दूसरी वरीयता
3. ट्रांसजेन्डर आवेदकों को तीसरी वरीयता
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को चैथी वरीयता
5. कच्चे घर वाले आवेदक, जिनके निकटतम सम्बन्धियों यथा-पिता/पुत्र व पुत्री, माता/पुत्र व पुत्री में से किसी ने इस योजना अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना में लाभ प्राप्त न किया हो।

6. अन्य ऐसे आवेदन, जो योजना की गाइड लाइन के अनुसार पात्र हैं, किन्तु 1 लगायत 5 में सम्मिलित नहीं है।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि चूंकि भारत सरकार द्वारा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन बन्द कर दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में योजना के बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2022 के उपरान्त नए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाये।

अमृत अभिजात
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

संख्याः-1737/69-1-2022-14(235)/2015

लखनऊ: दिनांक: 14 नवम्बर, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

<u>उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैः-</u>

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
13. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बड़ौदा।

(बराती लाल)
विशेष सचिव।